कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर जिला इन्दौर (म0प्र0)

सांवेर, दिनांक :– 12/01/2021

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2020–21/1280

।। रिक्त संरचनाओ को मासिक किराये पर आवंटन हेतु निलामी सूचना ।।

कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर के द्वारा मुख्य मंडी प्रांगण में रिक्त संरचनाओ को जहाँ है, जैसी स्थिति मे मासिक किरायें पर आवंटित करने हेतु निलामी बोली दि. 03.02.2021 को समय दोपहर 01:00 बजे मुख्य मंडी प्रांगण कार्यालय, सांवेर में आयोजित की गई है, निलामी से संबंधित जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य आवश्यक अनिवार्य शर्तो का अवलोकन कार्यलयीन समय मे अवकाश दिवसों को छोड़कर दिनांक 02.02.2021 तक कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर मे किया जा सकता है । उक्त जिन संरचनाओ को अनुज्ञप्ति पर आवंटन किया जाना है, उनका विवरण निम्नानुसार है : –

क्र.	रिक्त संरचनाओ का नाम एवं स्थल	रिक्त संरचनाओ संख्या	क्षेत्रफल (प्रतिवर्ग मीटर) प्रति संरचना	न्यूनतम मासिक किराया प्रति संरचना	प्रति संरचना की ऑफसेट वेल्यू (रू. में)	निलामी मे भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली अग्रिम धन राशि (रू. में) प्रति संरचना
1	2	3	4	5	6	7
1	200मे.टन क्षमता गोदाम मुख्य मंडी प्रांगण सांवेर	06	126.04	8030/-	1427496/-	142750/-
2	500मे.टन क्षमता गोदाम मुख्य मंडी प्रांगण सांवेर	01	315.84	12522/-	2226115/-	222612/-
3	शॉपकम गोदाम मुख्य मंडी प्रांगण सांवेर	06	21.30	759/-	134911/-	13491/-
4	सेन्ड्री शाप मुख्य मंडी प्रांगण सांवेर	04	21.30	790/-	140498/-	14050/-
5	ऑफिसकम गोदाम उपमंडी प्रांगण चन्द्रावतीगंज	01	108.00	2358/-	419126/-	41913/-

शर्ते–

(1) उपरोक्तानुसार संरचनाओ को 05 वर्ष की कालावधि के लिए मासिक किराये पर मंडी समिति, सांवेर के अनुज्ञप्तिधारी पात्र व्यापारियो/फर्म को म.प्र. कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम मई 2009 के प्रावधानानुसार किया जायेगा । सरल कमांक 4 को छोड़कर दिनांक 02.02.2021 तक की स्वीकृत अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म को ही निलामी प्रक्रिया मे भाग लेने दिया जायेगा। उक्त दिनांक के पश्चात के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म भाग नही ले सकेगे।

(2) उपरोक्तानुसार संरचनाओ को मासिक किराये पर आवंटन हेतु निलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक मंडी समिति, सांवेर के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म एवं व्यक्तियों को अग्रिम धन के रूप में उनके सम्मुख दर्शित राशि कॉलम क्रमांक 7 के अनुसार नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप मे सचिव कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर के नाम से देय हो, निलामी बोली के एक दिन पूर्व दिनांक 02.02.2021 तक कार्यालय मे जमा करनी होगी।

(3) किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को एक से अधिक संरचना आवंटित नही की जावेगी, जिस अनुज्ञप्तिधारी के पास पूर्व से संरचना आवंटित है वह निलाम प्रक्रिया मे भाग नही ले सकेगा।

Scanned with CamScanner

(4) उच्चतम बोली लगाने वाले अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म/व्यक्ति को मंडी समिति द्वारा उसकी बोली स्वीकृति की लिखित सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर किराये की बोली की अधिकतम राशि के आधार पर एक वर्ष का किराया अग्रिम के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। इस राशि में आवेदन के साथ जमा अग्रिम धन की राशि समायोजित नहीं की जा सकेगी। उक्त संरचनाओं के आवंटन हेतु उनके सम्मुख कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित निर्धारित मासिक किराया ही न्यूनतम मासिक बोली रहेगी, इस न्यूनतम मासिक किराये से ऊंची बोली ही मान्य की जावेगी।

(5) शासन के नियमानुसार आवंटित संरचना पर नियमानुसार लगने वाले समस्त करों को चुकाने का दायित्व किरायेदार का होगा।

(6) संरचना का किराये पर आवंटन के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात किराये की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी एवं वार्षिक किराया विलम्ब से जमा करने पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिभार उद्गृहित किया जावेगा।

(7) उपलब्धतानुसार संरचनाओं की कुल संख्या का 16 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अनुज्ञप्तिधारियों हेतु आरक्षित है, जो कि निम्नानुसार है, मुख्य मंडी प्रांगण सांवेर में शासकीय गोदाम क्रमांक 16 एवं सांवेर के 6 आरक्षित है, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति शर्त क्रमांक 2 का पालन करते हुए आवेदन के साथ संलग्न जमा करना अनिवार्य होगा।

(8) यदि आरक्षित संरचनाओं के आवंटन के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई अनुज्ञप्तिधारी आगे नहीं आता है तो इन संरचनाओं को अनारक्षित माना जावेगा तथा तदनुसार नीलामी से ही उनका निपटारा (नीलाम) किया जावेगा।

(9) मंडी समिति द्वारा संरचना आवंटन के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी पर बंधनकारी रहेगा एवं मंडी समिति कारण बताने हेतु बाध्य नहीं रहेगी।

(10) विस्तृत शर्तें कार्यालयीन समय एवं दिवस में कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति सांवेर में अवकाश दिवस छोड़कर देखी जा सकती है।

(11) नीलाम की बोली रु. 10/- के गुणांक में ही स्वीकार की जावेगी।

(12) नीलामी में भाग लेने हेतु मंडी के अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न की जाना आवश्यक है।

(13) उक्त रिक्त संरचनाओं के आवंटन की सूचना के संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति सूचना एवं विस्तृत जानकारी एवं शर्तें मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

(मनोज कुमार चौधरी)
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

(आर.एस. भावडलोई)
भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

E:\Local g\VIGYAPTI SUCHNA 2020.docx

Scanned with CamScanner

प्र.क्रमांक / मंडी / निर्माण. / 2020–21 / 1281 से 1287 सांवेर.दिनांक :– 12 / 01 / 2021

प्रतिलिपि : – सूचना पटल पर चस्पा हेतु–

1. कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर ।

2. उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इन्दौर संभाग इन्दौर ।

3. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड इन्दौर संभाग इन्दौर ।

4. सहायक यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड इन्दौर संभाग इन्दौर ।

5. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर ।

6. कार्यालय जनपद पंचायत सांवेर ।

7. कार्यालय नगर परिषद सांवेर ।

8. कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर एवं उपमंडी चन्द्रावतीगंज ।

(मनोज कुमार चौधरी)
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
सांवेर जिला इन्दौर

Scanned with CamScanner